(13)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या –47/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर

....प्रार्थी

बनाम

1. लच्छो पत्नि स्व0 रामजीलाल कौम धीमर निवासी रूपवास– मृतक
2. भगवत
3. राजू
4. गोविन्द
   पिसरान रामजीलाल कौम धीमर निवासी रूपवास, तह0 रूपवास
5. उषा
6. आशा
   पुत्रियान रामजीलाल कौम धीमर निवासी रूपवास, तह0 रूपवास
7. नारायणी पत्नी स्व0 मनोहर– मृतक
8. सुरेश
9. विक्रम
   पिसरान मनोहर कौम धीमर निवासी रूपवास तहसील रूपवास
10. बबली
11. संतोष
12. अशोक
   पिसरान हरी कौम धीमर निवासी रूपवास तहसील रूपवास
13. प्रेमवती पत्नी स्व0 वेदो कौम धीमर निवासी रूपवास तहसील रूपवास
14. पवन कुमार पुत्र वेदो कौम धीमर निवासी रूपवास तहसील रूपवास

....अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 2047/1253 रकबा 0.10 बीघा के विरुद्ध बिना आंवटन के दर्ज गैर खातेदारी/खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत।

उपस्थित:–

1–पैरोकार सरकार,

2–श्री दुलीचन्द शर्मा अभि0 अप्रार्थी0

3– श्री पंकज कुमार अभि0 अप्रार्थी0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर
सरकार बनाम लच्छो
रैफरेन्स मु0नं0 47/2018

निर्णय दिनांकः– 06.02.2026

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थी के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2047/1253 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन खान वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि जमांबदी सम्वत् 2069–72 में अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि राजकीय खाते में सिवायचक गै0मु0 खान के रूप में दर्ज रिकार्ड है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड खसरा टीप सम्वत् 2012–2015 के राजकीय खाता संख्या 714 में खसरा नम्बर 1253/56.16 बीघा के रूप में रहा है । उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज मंगल पुत्र किशोर बिना नामान्तकरण के जमाबंदी सवंत् 2020 के खाता संख्या 427 में गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ जो जरिये विरासत नामा0सं0 1432,1999,2134 से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ तथा हुक्मन खातेदारी नामा0सं02488 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्देश तक स्थगित हुआ। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151) लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स प्रकरण तैयार किये गये है। उक्त भूमि पर दर्ज खातेदारी प्रभाव शून्य है एवं इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तकरण संख्या 1432,1999,2134,2488 को निरस्त करने योग्य है। भूमि आवंटन आदेश नॉन ज्यूडिशियल का प्रकरण है जिसका रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाना है।

इस प्रकार तहसीलदार (भूमिधारी) ने अन्त में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2047/1253 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन खान पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 1432,1999,2134,2488 को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किया जावें।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये।

उभय पक्ष अभिभाषगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी गै0मु0 खान दर्ज है, ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रतिबिन्धत श्रेणी में आती हैं। जिस पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151) लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स प्रकरण तैयार किये गये है। उक्त निर्देशो के तहत जारी आदेश की पालना में रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को उक्त आराजी पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए नामान्तकरण संख्या 1432,1999,2134,2488 को निरस्त किया जावे तथा पैरोकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(5)

सरकार द्वारा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स प्रेषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2047/1253 रकवा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन खान वाके ग्राम रूपवास में स्थित है जो कभी भी न तो चारागाह भूमि रही है जो धारा 16 राज0टी.एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमियों में नही आती है और न ही धारा 16 के तहत बाधित है। अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आराजी का आवंटन वैधानिक रूप से अप्रार्थी के हक में किया गया है तदनुसार ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। तहसीलदार की वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी में पक्का निर्माण व कुछ हिस्सा खाली पडा हुआ है जिससे रैफरेन्स काबिल खारिजी है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा रेफरेन्स को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी तहसीलदार ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 2047/1253 रकवा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन खान वाकेग्राम रूपवास तहसील रुपवास पर दर्ज खातेदारी तथा उसके प्रभाव में किये गये नामान्तकरण संख्या 1432,1999,2134,2488 को निरस्त करने तथा विवादित भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151)लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया जाकर जाकर विवादित आराजी पर हो रहे अप्रार्थीगण के खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कर वापिस पूर्व की भांति हो रहे इन्द्राज को बहाल करने की प्रार्थना की गई है। तहसीलदार रूपवास की मौका रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी संवत् 2069-72 में खसरा नम्बर नम्बर 2047/1253 रकवा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन खान वाकेग्राम रूपवास तहसील रुपवास अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है व उक्त रकबा में पक्का निर्माण व कुछ हिस्सा खाली पडा होना अवगत कराया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार जमाबंदी संवत् 2012 में आ0ख0न0 1253 रकबा 56.16 बीघा राजकीय खाते में किस्म गै0मुमकिन दर्ज रिकार्ड तथा जमाबंदी संवत् 2020-2024 में खाता संख्या 427 के खसरा नम्बर 1253 मिन रकबा 0.10 बीघा किस्म गै0मु0खान पर मंगल बल्द किशोर कौम धीमर सा0देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है जो विरासत के नामान्तकरण संख्या 1432 से मनोहरी व वेदो पिसरान मंगल बहिस्सा बराबर कौम धीमर सा0देह गैर खातेदार दर्ज हुआ है। नामा0स0निर्णय दिनांक 13.05.1976 से खातेदार अधिकार प्रदान किये गये है।

जमाबंदी सम्वत् 2012 में किस्म गैर मुमकिन दर्ज है। उक्त भूमि कभी भी राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज नही रही है और न ही भूमि धारा 16 में वर्णित भूमियों की श्रेणी में गै0मु0 खान किस्म आती है। **माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत 2023(1) आर.आर.टी. 101 में प्रतिपादित आदेश स्टेट बनाम लक्ष्मन वगै0** दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

29.10.2022 द्वारा "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 82 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित की–आवंटन व नामान्तकरण को रद्द करने हेतु रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का रिकार्ड पेश नही किया गया है जिससे रैफरेन्स अपूर्ण है"। प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत बखूबी चस्पा होते है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 24.09.2025 से अवगत कराया है कि" आराजी खसरा नम्बर 2047/1253 रकबा 0.10 बीघा अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त आराजी में पक्के निर्माण वगै0 व कुछ खाली पडी भूमि के रूप में उपयोग आ रही है"। प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसमें यह स्पष्ट हो सके की उक्त आराजी धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती हो।

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजात को भी पेश नही किया है जिसमे रैफरेन्स के सबंध में पूर्ण जांच की जानी संभव नही है:–

1. रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स हाल खसरा नम्बर 2047/1253 रकबा 0.10 बीघा बीघा के सबंध में पेश किया गया है एवं इसके साविक खसरा नम्बर 1253 का उल्लेख किया है लेकिन इसकी ताईद के लिए मिलान क्षेत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है।
3. विवादित आराजी की किस्म गै0मु0खान होने के सबंध में राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती हो, का उल्लेख नही किया गया है।

अतः तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रैफरेन्स उपर्युक्त विवेचन के कम में बाद जांच माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जाना सम्भव नही है। अतः इस प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार रूपवास उपर्युक्तानुसार समस्त दस्तावेज के साथ प्रार्थना पत्र रैफरेन्स पुनः पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)